**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम अम्बेडकरनगर**

UPAN010000302021

**Sessions Case/9/2021**

सरकार बनाम राकेश आदि

**06.08.2026**

1. पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्तगण राकेश व लक्ष्मी की हाजिरी माफी प्रस्तुत। आज हेतु स्वीकृत। पत्रावली आज सफाई साक्ष्य हेतु नियत है।

2. अभियुक्त राकेश जायसवाल की ओर से आज प्रार्थनापत्र 54ब अंतर्गत् धारा–311 द.प्र.सं. प्रस्तुत कर यह अनुरोध किया गया कि उपरोक्त मुकदमें में मृतक अतुल को मृत्यु के पूर्व जो चोटें आयी थी वह किसी मर्म स्थल पर नहीं है बल्कि जो चोटें आयी है वह साधारण प्रकृति की है जिससे मृत्यु होना सम्भाव्य नहीं है। डाक्टर ने मृत्यु का कारण हैमरेज व शॉक बताया है। ऐसी स्थिति में मृतक की मृत्यु किन चोटों से हुई है यह बात डाक्टर के बयान से स्पष्ट नहीं है। ऐसी स्थिति में पी.डब्लू.6 डा0 रति प्रकाश राजभर को तलब कर उस बिन्दु पर जिरह किया जाना आवश्यक है जिससे मृत्यु का कारण स्पष्ट हो सके। न्यायहित में पी.डब्लू.6 डा0 रति प्रकाश राजभर को तलब कर जिरह करन की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि पी.डब्लू.6 डा0 रति प्रकाश राजभर को तलब कर जिरह करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा की जावे।

3. उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा आपत्ति की गयी तथा उक्त प्रार्थनापत्र के पुस्त पर यह अंकित किया गया कि पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु नियत है। अभियुक्त को सफाई साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर भी पूर्व में दिया जा चुका है किन्तु अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है। अभियुक्त द्वारा जिस साक्षी को तलब करने का प्रार्थनापत्र दिया गया है वह साक्षी पी.डब्लू.6 के रूप में परीक्षित ही नहीं हुआ है तथा साक्षी पी.डब्लू.6 से अभियुक्त द्वारा विस्तृत जिरह की गयी है। सफाई साक्ष्य में गवाहों को तलब कराने की व्यवस्था 311 द.प्र.सं. में नहीं है। प्रार्थनापत्र केवल विलम्बित करने के उद्देश्य से दिया गया है। प्रार्थनापत्र का प्रबल विरोध है।

4. उक्त प्रार्थनापत्र 54ब पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त राकेश जायसवाल द्वारा प्रार्थनापत्र 54ब साक्षी पी.डब्लू.6 डा0 रति प्रकाश राजभर को तलब कर उससे जिरह करने की अनुमति प्रदान करने हेतु दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि साक्षी पी.डब्लू.6 के रूप में डा0 रति प्रकाश राजभर नाम का कोई डाक्टर परीक्षित नहीं हुआ है बल्कि साक्षी पी.डब्लू.6 के रूप में डा0 रवि प्रकाश राजभर को दिनांक 22.10.2024 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है और उसी दिन उक्त साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री नरसिंह नरायन सिंह द्वारा जिरह भी की गयी तथा साक्षी का जिरह पूर्ण हो चुका है। पत्रावली में अभियोजन का समस्त साक्ष्य अभिलिखित किया जा चुका है तथा अभियुक्तगण का बयान अंतर्गत धारा–313 द.प्र.सं. अंकित किया जा चुका है। पत्रावली वर्तमान समय में सफाई साक्ष्य हेतु नियत चल रही है। न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2026 को अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर भी प्रदान किया जा चुका है इसके बावजूद भी आज तक

Digitally signed by PAWAN KUMAR SHUKLA
Date: 2026.08.06 15:35:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया और सफाई साक्ष्य के स्तर पर आज यह प्रार्थनापत्र 54ब प्रस्तुत कर साक्षी पी.डब्लू.6 से जिरह करने की याचना की गयी है। प्रकरण हत्या जैसे गम्भीर अपराध से संबंधित है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण को शीघ्र निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रार्थनापत्र को प्रकरण को विलम्बित रखने के आशय से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है, जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह प्रकरण को येनकेन प्रकारेण विलम्बित रखना चाहता है। अतः मामले के समस्त तथ्य परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 54ब उपरोक्तानुसार खारिज किए जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 54ब खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते सफाई साक्ष्य दिनांक–13.08.2026 को पेश हो।

दिनांकः–06.08.2026

(पवन कुमार शुक्ला)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकरनगर।
जे.ओ.कोड–यू.पी.6286